न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज0)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 31/2024

प्रार्थी

1. श्री शंकरलाल पुत्र श्री बाबूलालजी जाति बंजारा निवासी महादेव मन्दिर के पीछे, आकराभट्टा आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री नरपत पुत्र श्री बाबूलालजी जाति बंजारा निवासी आकराभट्टा, वार्ड नं. 1, महादेव मन्दिर के पीछे, आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रपालसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. नायब तहसीलदार, सिरोही पेरोकार सरकार अप्रार्थी की ओर से।

आदेश **दिनांक : 24.04.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा राजस्व निगरानी संख्या 12/2021 अनवान तहसीलदार आबूरोड बनाम श्री पुनमा के कायम मुकाम, अन्तर्गत नियम नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2023 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार ने उपस्थिति दी एवं जबाव प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रपाल सिंह द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रकरण संख्या 12/2021, सरकार जरिये तहसीलदार बनाम पुनमा जरिये कायम मकाम, निर्णय दिनांक 07.08.2023 पेश किया गया था। जिसमें प्रार्थीगण की जानकारी के बिना और प्रार्थीगण को सुने बिना दिनांक 07.08.2023 को प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह उक्त प्रकरण प्रार्थीगण के दादा की पुश्तैनी संपत्ति से संबंधित है, जिस पर प्रार्थीगण [illegible] लगातार कृषि करते हुए आए है और अपना विधिक [illegible] कि प्रार्थीगण के पिता [illegible] होने के पश्चात् उक्त संपत्ति पर प्रार्थीगण का [illegible]क स्वामित्व अधिकार का[illegible] है, लेकिन अप्रार्थी द्वारा आश्चर्यजनक तरीके से उक्त प्रकरण दायर करते हुए और प्रार्थीगण को विधिक सूचना तामील करवाए बिना और सुने बिना झूठ और मिलावट करते हुए एक पक्षीय निर्णय पारित करवा लिया गया, जिसे न्यायहित में अपास्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जाना अत्यंत आवश्यक है। यह कि प्रार्थीगण कोरोना त्रासदी से प्रभावित होने के कारण कमाने–खाने के लिए और अन्य कारणो से शहर से बाहर थे, दरमियान उक्त प्रकरण दायर करते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय हासिल कर लिया गया, जो कि विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी होते ही दिनांक 24.04.2024 को उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई और विधिक राय प्राप्त करते हुए अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की विधिक सूचना नहीं रही है और प्रार्थीगण का जानबूझकर अनुपस्थित रहने का कोई इरादा नहीं रहा है। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही/निर्णय/डिक्री को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसरण में एवं न्यायहित में अपास्त करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 12/2021, सरकार जरिये तहसीलदार बनाम पुनमा जरिये कायम मकाम, निर्णय दिनांक 07.08.2023 को पारित करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और प्रार्थीगण को विधिवत सुना जाकर न्याय संगत निर्णय पारित किया गया है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व 151 सी.पी.सी. अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रार्थना पत्र की अवधि टाईम बार्ड हो चुकी है एवं प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है और अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किए जाने का कोई ठोस कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि पूर्व में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 12/2021 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 07.08.2023 को निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त प्रकरण प्रार्थीगण के दादा की पुश्तैनी संपत्ति से संबंधित है, जिस पर प्रार्थीगण के पिता लगातार कृषि करते हुए आए है और अपना विधिक दायित्व भी रखते है, इसके उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की जानकारी के बिना और प्रार्थीगण को सुने बिना दिनांक 07.08.2023 को प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय करवाया गया है। इस सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 12/2021 की मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा श्री पुनमा के कायम मुकाम के विरूद्ध प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा समस्त अप्रार्थीगण श्री पुनमा के कायम मुकाम को नोटिस जारी किया गया, जो उनको तामिल होने पर श्री पुनमा के कायम मुकाम की ओर से इस न्यायालय में अधिवक्ता की नियुक्त किया गया और उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण में जबाव भी प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत करने के पश्चात श्री पुनमा के कायम मुकाम संख्या 1.9 श्रीमती हस्तु पुत्र स्व. श्री पुनमा की फौत होने से इस न्यायालय द्वारा श्रीमती हस्तु के वारिसान श्री शंकरलाल व श्री नरपतसिंह को नोटिस जारी किए गए, जो तामिल होकर पुनः इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

न्यायालय को प्राप्त हुए, जो न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किया गया यह कथन कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को सुने बिना ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रार्थीगण की माता श्रीमती हस्तु को भी इस न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया एवं उनकी फौत होने के पश्चात प्रार्थीगण को भी सुनवाई का अवसर दिया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रकरण इस न्यायालय में लगभग दो वर्ष विचाराधीन रहा था और इन दो वर्षों में प्रार्थीगण की माता श्रीमती हस्तु एवं उनकी फौत होने के पश्चात प्रार्थीगण को यह भलीभांति ज्ञात था कि प्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और प्रार्थीगण की माता श्रीमती हस्तु की ओर से तो इस न्यायालय में अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया था और उनकी ओर से जबाव भी प्रस्तुत किया गया था। अतः इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटिकारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner